

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 382 / FP/UK/Others/29713/2017 देहरादून: दिनांक: 25 मई, 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)from Damta to Barnigad (Total Length-23.730 KM) Vindhya Telelinks LTD को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में। (0.7119 ha)
(Online file no - FP/UK/Others/29713/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत अन्तर्गत laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)from Damta to Barnigad (Total Length-23.730 KM) Vindhya Telelinks LTD को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने का वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की गई है। Vindhya telelinks LTD द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार जनपद-उत्तरकाशी में अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 3G/4G जैसी नई तकनीकी सुविधाओं के लिए तथा दूर संचार की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना का कार्य किया जाना है। इससे भविष्य में स्थाई तथा अस्थायी रूप से लोगो को रोजगार मिलने की सम्भावना है। प्रश्नगत परियोजना का कार्य व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित परियोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है।

उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत अन्तर्गत laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)from Damta to Barnigad (Total Length-23.730 KM) Vindhya Telelinks LTD को अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की लीज नीति के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।
संलग्न- आनलाईन प्रपत्र पार्ट 1 से 4 तक।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/29713/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी - जनपद, उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
3. Vindhya telelinks Limited, E-237, 3rd floor, Industrial Area, phase VIII B, Mohali.

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:— जनपद—उत्तरकाशी के अन्तर्गत laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)from Damta to Barnigad (Total Length-23.730 KM) Vindhya Telelinks LTD को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में। (0.7119 ha)
(Online file no - FP/UK/Others/29713/2017)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त परियोजना हेतु अपर यमुना वन प्रभाग में 0.0009 हे० आरक्षित वन भूमि (ब्लाक कक्ष सं०-6ए) एवं 0.711 हे० सिविल सोयम वन भूमि अर्थात् कुल 0.7119 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया है, कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। जनपद—उत्तरकाशी के अन्तर्गत अन्तर्गत laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)from Damta to Barnigad (Total Length-23.730 KM) Vindhya Telelinks LTD को अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की लीज नीति के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

तिथि : 25/05/2018

स्थान : देहरादून